

FORM-I
(for linear projects)
Government of Himachal Pradesh
Office of the District Collector Bilaspur, H.P.

No.BLS-ADRA-1 (855)/16-

Dated

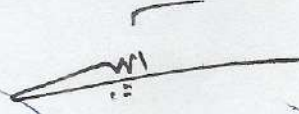
2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF has issued guidelines on submission of evidences for initiating and completing the process of settlement of the rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 05th February, 2013 wherein MoEF has issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0-28-20 hectare** of forest land proposed to be diverted in favour of **H.P.P.W.D. for the construction of link road Jeora to Rohal via Lehar** in Bilaspur district falls within the jurisdiction of **Rohal village in Jhandutta Tehsil.**

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0-28-20** hectare of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure 1 to Annexure III ;
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (e) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and preagricultural communities.


Vivek Bhatia (I.A.S.)
Dputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.

Annexure - II

OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C), JHANDUTTA DISTRICT BILASPUR (HP)

Proceeding of the meeting of the Sub Divisional level Committee constituted under Scheduled Tribe & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act. (FRA) 2006.

A meeting of the Sub Divisional level Committee Jhandutta Sub Division constituted under Forest Right Act. 2006 was held under the Chairmanship/chairpersonship of Sub Divisional Officer (C), Jhandutta on 17-09-2018 at 12-00 Noon at Jhandutta in which the application(s) claiming rights in 0-28-20 Hect. Forest areas under Forest Right Act. 2006 of the following applicant, duly processed and recommended by the Forest Right Committee of Construction of Link Road Jeora to Rohal via Lehar, Gram Sabha were discussed to consider the same for recommendation to the District level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion the following decision were taken on the application.

Name of Applicant	Decision (Recommended)
Executive Engineer, H.P.P.W.D Division, Ghumarwin, Distt. Bilaspur (HP).	

3251
Place: Jhandutta
Dated: 24-09-2018


Sub Divisional Officer (C),
Jhandutta, District Bilaspur (HP),
Jhandutta, District
Bilaspur (HP).

**Office of the Deputy Commissioner
District Bilaspur (Himachal Pradesh)**

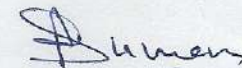
FRA Certificate (Under FRA 2006) to be issued By District Level Committee.

Proceedings of the meeting of District level Committee constituted under Scheduled Tribes & other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Bilaspur constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Sh. Vivek Bhatia (I.A.S.) Deputy Commissioner, Bilaspur on 17-01-2019, 10-30 A.M. at Bilaspur in which the following applications were discussed and approved in view of recommendations made by the Sub Divisional Level Committee of Sub Division Jhandutta, District Bilaspur, H.P.

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	<u>08-16-83 hectare</u>	Diversion of Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I in Seer Khad.
2.	<u>1-16 hectare</u>	Diversion of Link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960.
3.	<u>0-28-20 hectare</u>	Diversion of Link road Jeora to Rohal via Lehar.
4.	<u>0-95-55 hectare</u>	Diversion of Link road Bhager Vijaypur Chounta Road to Khujal road.

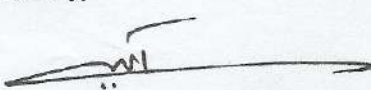

1. Amarjeet Singh Bangga,
Zila Parishad. (Member)


2. Pushpa Kumari,
Zila Parishad. (Member)


3. Meena Devi,
Zila Parishad. (Member)


4. Saroj Bhai Patel, D.F.O.,
Distt. Bilaspur(H.P)
(Member)


5. Pravan Manta,
Additional District Magistrate,
Bilaspur, H.P. (Member Secretary)


6. Vivek Bhatia (I.A.S.)
Deputy Commissioner,
Distt. Bilaspur, H.P.
(Chairman)

Annexure - I

बैठक कार्यवाही ग्राम सभा
अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम, 2006.

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या - 06

दिनांक

ग्राम

सभा

की बैठक आज

दिनांक 23-09-2016 को 10:AM. बजे, स्थान रोहल में

श्री/श्रीमति रूपना धामिन की अध्यक्षता में की गई जिसमें

रोहल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रोहल जंगल/वन क्षेत्र में (जिसमें

उमोरा से रोहल वाया लूड 1.5 Km. 0/0 रु 3/00)

के निर्माण के लिए 0-07-52 है: हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है 0-28-20 Hect. बैठक में निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

क्रमांक	पात्र गांववासी का नाम	गांव का नाम	वन अधिकार का ब्योरा
1.	धनीराम 8/0 सुखराम	रोहल	धनीराम अध्यक्ष
2.	अनीता देवी 4/0 रामलाल	"	अनीता सचिव
3.	निष्काश 8/0 परस राम	"	सदस्य
4.	चैनु राम 5/0 उज्जय राम	"	सदस्य

बैठक में वन अधिकार समिति रोहल द्वारा

रुडक निर्माण (उद्देश्य) के लिए 150 50 लो 50 (विभाग) के पक्ष में

दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के ऊपर विचार विमर्श किया गया तथा सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव

पारित किया गया कि राजस्व गांव रोहल में भूमि खसरा नम्बर

471/397 472/397 रोहल हैक्टेयर को रुडक निर्माण (उद्देश्य) के

+471 397 472 397 0-07-52 0-28-20 Hect. लिए हस्तान्तरण करने पर इस ग्राम सभा को कोई एतराज नहीं है क्योंकि उक्त गांव में अनुसूचित

+471 397 472 397 जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत

+471 397 472 397 कोई मांगला लम्बित नहीं है।

अतः ग्राम सभा अपनी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करती है।

स्थान रोहल
दिनांक 8/2/2018

प्रधान
दिनांक

सचिव

सचिव

सचिव

सचिव

8/2/2018

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा रोहल

प्रतिलिपि प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या

ग्राम सभा

रोहल

दिनांक

रोहल

में श्री/श्रीमति

सपना देवी

की बैठक आज दिनांक 23-9-16 को

10: Am बजे, स्थान

पंचायत घर

गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत

जंगल/ वन क्षेत्र में (उद्देश्य)

खण्ड निम्नलिखित

के निर्माण के लिए

रोहल

0-07-52
0-28-20

हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मजूरी प्रस्तावित है। वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांव वासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
		<u>रोहल</u>	

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को मान्य करती है/ इस दावे/ इन दावों को मान्य करती है/ इस दावे/ इन दावों को मान्य करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया :-

क्र० सं०	पात्र गांव वासी का नाम

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/ इन दावों को निरस्त करती है।

इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार

रोहल

जंगल/ वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा

प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

रोहल

दिनांक

8/2/2018

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

ग्राम सभा

सपना देवी

Panchayat Secretary

G.P. Badga

Dist. Bilaspur

Ten. Jharkhand

Distt. Bilaspur (H.P.)

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

प्रस्ताव संख्या - 06

ग्राम सभा

प्रतिलिपि प्रस्ताव - 06

दिनांक 23-09-2016

ग्राम सभा रोहल की बैठक आज दिनांक 23-9-2016 को 10: AM बजे, स्थान रोहल में श्री / श्रीमती सपना देवी की अध्यक्षता में की गई जिसमें रोहल गांव के अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत रोहल

जंगल/ वन क्षेत्र में (जिसमें 8050 को. विभाग द्वारा उत्तरा से रोहल जाया लैइइयक के विमोचन के लिए 0-3-2018 में हाट कटेयर वन भूमि के उपयोग की मंजूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिए दावे हेतु इस ग्राम सभा की वन अधिकार समिति की सिफारिश के उपरान्त प्राप्त हुए गांववासियों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त इस ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम	जंगल का नाम	वन अधिकार का ब्यौरा
1.		रोहल	
2.			

तदनुसार यह ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को पारित करते हुए इसे उप-खण्ड स्तर की समिति को प्रेषित करती है।

उपरोक्त में से निम्नलिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया:-

क्रमांक	पात्र ग्रामवासी का नाम
1.	
2.	

तदनुसार ग्राम सभा इस दावे/इन दावों को निरस्त करती है।

या
इस ग्रामसभा की वन अधिकार समिति से प्राप्त सूचना के अनुसार जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।

स्थान

रोहल

दिनांक

8/02/2018

अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

ग्राम सभा

Panchayat Secretary
G.P. Badli
Dev. Bldg.
Teh. Jhansi
Distt. Bilaspur (H.P.)

- ग्रामवासी/ग्रामवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिए आवेदन किया है।
- प्राजैक्ट/कार्य का नाम जिसके लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति दी जानी है।

बैठक कार्यवाही वन अधिकार समिति

रोहल

ग्राम

रोहल

जिला बिलासपुर

हि0प्र0 ।

आज दिनांक

23-9-16

को वन अधिकार समिति ग्राम

रोहल

की बैठक अध्यक्ष श्री / श्रीमति

चनीश

की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई

जिसमें निम्नलिखित सदस्य मौजूद थे:-

क्रमांक	नाम व पिता/पति का नाम	पद नाम	ग्राम	जाति	हस्ताक्षर
1.	चनीश 3/0 सरल	अध्यक्ष	रोहल	ब्राह्मण	चनीश
2.	अनीता 5/0 श्यामलाल	सचिव	do	"	अनीता
3.	विजय 5/0 प्रेमलाल	सदस्य	do	S.C	Rajesh Singh
4.	निष्का राक 5/0 सरल	सदस्य	do	OBC	निष्का
5.	चन 5/0 आलूरा	सदस्य	do	SC	चन
6.	मीती 5/0 शरणा	सदस्य	do	SC	मीती
7.	सीता देवी 5/0 शरणा	सदस्य	do	ब्राह्मण	Sita Sharma
8.	सुनीता 5/0 शरणा	सदस्य	do	"	सुनीता
9.	सुनीता देवी	सदस्य	do	"	सुनीता देवी
10.	सुनील 5/0 प्रेमलाल	सदस्य	do	ब्राह्मण	सुनील

11

वन अधिकार समिति ने राजस्व विभाग के पटवारी/कानूनगो श्री

SC

Banshi

तथा वन विभाग के वन रक्षक श्री

केहर सिंह

के साथ भूमि खसरा नम्बर

471/397 472/13 87 + 472 + 472

0-28-20

जिसके सन्दर्भ में

3+ 471/397 472/13 87 + 472 + 472

0-07-51 Hact.

0.752

(सददेश्य) के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (विभाग का नाम)

ने चाहा है का मौका पर निरीक्षण व्यक्तिगत तौर पर किया व

अन्य छानबीन निम्न प्रकार से की गई:-

1. उक्त भूमि का नक्शा / तृतीया पटवारी तथा वन रक्षक ने समिति के समक्ष बनाया ।
2. उक्त भूमि पर समिति ने गांववासियों से वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत दावे मांगे तथा किसी प्रकार का कोई दावा समिति को प्राप्त नहीं हुआ ।
3. उक्त भूमि पर गद्दी गुज्जर या अन्य घुमन्तु समुदायों का किसी प्रकार का दावा समिति के समक्ष पेश ना हुआ तथा समिति मानती है कि किसी समुदाय का ऐसा कोई दावा इस भूमि पर नहीं है ।

अतः बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने (सददेश्य) रक्षक निर्माण हेतुसमझने उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम रोहल के अंतर्गत

उपरोक्त प्रस्ताव के लिए वन भूमि दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

अतः रोहल काया लई लई के निर्माण के लिये उपयोग में आने वाली वन भूमि की

अनुमति बारे उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की है । यह अनुमति वन अधिकारों की गान्यता

अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्धित अधिकारियों को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की

जाती है । प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित व स्वीकार है । प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रारूप

कार्यवाही के अनुरूप है प्रमाण

वन अधिकार समिति

राजस्व गांव

ग्राम पंचायत रोहल

जिला बिलासपुर (हि0प्र0)

वन अधिकार समिति

संख्या: बीएलएस-एडीआरए-1(855)/2016
कार्यालय उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

बिलासपुर, दिनांक

2019

प्रेषक:

उपायुक्त बिलासपुर,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।

प्रेषित:

F.R. 10/11
E.E.
Supdt. 8/5/2

अध्यक्ष,
उप-मण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं
उप-मण्डल अधिकारी (ना0) झण्डूता,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।



विषय:-

FRA Certificate (Under FRA 2006) of following Scheme.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय पत्र संख्या: जेएचडी-एफआरए /2018-3931 दिनांक 26.11.2018 व पत्र संख्या: जेएचडी-एफआरए-(1)/2018-164 दिनांक 14.01.2019 के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि दिनांक 17.01.2018 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित कार्यो हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के लिए एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है:-

Sr.No.	Total Land	Purpose.
1.	<u>08-16-83 hectare</u>	Diversion of Minor Minerals extraction of Sand, Stone and Bajri from Jhareri-I in Seer Khad.
2.	<u>1-16 hectare</u>	Diversion of Link road Dokru Lehar to Neri K.M. 0/0 to 2/960.
3.	<u>0-28-20 hectare</u>	Diversion of Link road Jeora to Rohal via Lehar.
4.	<u>0-95-55 hectare</u>	Diversion of Link road Bhager Vijaypur Chounta Road to Khurjal road.

भवदीय,

(Signature)

(देवीराम)

जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।
दिनांक 9/1/2019

पृश्ठाकन संख्या:-यथोपरि-
प्रतिलिपि:-

5-856

1. श्री श्याम कुमार पुत्र श्री सीता राम (Mining Contractor) गांव टिक्करी, डा0 पंजगाई तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हि0प्र को उपरोक्त वर्णित कमांक 1 से सम्बन्धी एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र सहित ।
2. अधिशासी अभियन्ता, हि0प्र0लो0नि0वि0 मण्डल घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0प्र0 को उपरोक्त वर्णित कमांक 2 से 4 तक वर्णित एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र सहित ।

(Signature)
जिला राजस्व अधिकारी,
जिला बिलासपुर, हि0प्र0 ।